न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 26/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 6.10.2021
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

अर्जुन गुंजल आत्मज कान्हाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मीनाक्षी जैन पत्नी यतीश जैन जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 2 झ 1 सत्यनिकेतन स्कूल के पीछे दादाबाडी, कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रवीन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 27.10.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा मिसल नम्बर 91/2021 बउनवान श्रीमती मीनाक्षी जैन पत्नि यतीश जैन बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा, प्रार्थना पत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 128 मे पारित निर्णय दि0 23.9.2021 के विरूद्ध यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत हितबद्ध एंव प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि रेस्पो0 क्रम–1 मीनाक्षी जैन ने उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 0.15 है0 ग्राम रोझडी पटवार हल्का बोराबास भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र मण्डाना तहसील लाडपुरा मे पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 128 के तहत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23.9.2021 को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया कि प्रकरण मे सीमाओं का निर्धारण कर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि वाके पटवार हल्का बोराबास ग्राम रोझडी के खाता सख्या नया 575 का खसरा नम्बर 188 रकबा 0.15 है0 की पत्थरगढी कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें। दौराने पत्थरगढी कार्यवाही कानून व्यवस्था बनी रहे तथा किसी प्रकारकी अशांन्ति उत्पन्न ना हो इसलिये थानाधिकारी आर0के0पुरम को आदेशित किया जाता है कि पर्याप्त जाप्ते सहित स्वयं मौके पर मौजूद रहे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलौच्य निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 का कभी कब्जा नही रहा आराजी 15–20 वर्षो से पडत पडी हुई है। उक्त आराजी पर 25–30 वर्षो से अपीलांट काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त तथ्य हल्का पटवारी की रिपोर्ट से साबित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नही दिया कि धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान से संबधित विवाद का निस्तारण किया जाता हैं व धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सीमा से संबधित विवाद का निस्तारण किया जाता है जिसका श्रृवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार भू अभिलेख अधिकारी तहसीलदार को प्रदत्त है ऐसी स्थिति मे आलौच्य आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित कर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तहसीलदार लाडपुरा को न तो कोई नोटिस तामील कराया और न उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही ही की गई और न ही तहसीलदार लाडपुरा को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया इस प्रकार न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत रेस्पो0 क्रम–1 को लाभ पहुचाने के ध्येय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु थानाधिकारी को आदेश किया गया जबकि रेस्पो0 द्वारा इस संबध मे न तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और न ही प्रार्थना पत्र मे कोई सहायता चाही गई है। आदेश मे सरकार पैरोकार की उपस्थिति लिखी गई है जबकि उनके द्वारा क्या बहस की गयी है वर्णन नही है। पैरोकार सरकार उपखण्ड अधिकारी कोटा मे नियुक्त नही है फिर भी लाभ पहुचाने की नियत से उपस्थिति लिखी गई है। पूर्व मे पैरोकार सरकार श्री गोविन्द सिंह जी थे जो काफी लम्बे समय से बीमार चल रहे है तथा लगभग एक डेढ वर्ष से न्यायालय मे उपस्थित नही हो रहे है फिर भी उनकी उपस्थिति लिखी गई है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। आलौच्य आदेश की जानकारी दिनांक 30.9.21 को हल्का पटवारी द्वारा बताने पर हुई जिसकी नकल प्राप्त कर हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये प्रकरण मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे ट्रांसफर कार्यवाही के निस्तारण तक सुनवायी रोके जाने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे जाहिर किया कि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.15 है0 ग्राम रोझडी पटवार हल्का बोराबास रेस्पो0 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जिस पर पत्थगढी कराने का रेस्पो0 क्रम–1 विधिक अधिकारी है।। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी करने का आलौच्य आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक दोष निहित है। बहस मे आगे यह भी बताया कि अपील वर्णित भूमि रेस्पो0 क्रम–1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की होने से अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नही होने से प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज कर तद्नुसार अपील खारिज योग्य है।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे ट्रांसफर कार्यवाही तक सुनवायी रोके जाने का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 पर मनन किया। जेरअपील निर्णय दिनांक 23.9.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय **राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 128** मे पारित किया है। अतः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व क्षेत्राधिकार के बिन्दू का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.9.2021 को पारित जेरअपील निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त निर्णय राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 128 के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसको राज0 काश्तकारी अधिनियम मे प्रदत्त प्रावधान अनुसार राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है जबकि अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति मे विधिक प्रावधान अनुसार राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित निर्णय के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने का कोई विधिक प्रावधान निहित नही होने से प्रस्तुत अपील का श्रृवणाधिकार/क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति मे हस्तगत अपील प्रकरण मे प्रथम दृष्टया ही कानूनी बिन्दू निहित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विवेचन किये बिना ही श्रृवणाधिकार/क्षेत्राधिकार के अभाव मे इसी स्टेज पर अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा